बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

आदेश

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–02/2020– 10592 पटना, दिनांक– 28 दिसम्बर, 2021

राज्य में कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक–10031, दिनांक–15.12.2021 निर्गत है। दिनांक–28.12.2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में वर्तमान में **Covid-19** के नए **Variant of Concern** (**VoC**), **Omicron** के संक्रमण के प्रसार एवं आसन्न नववर्ष, 2022 की पूर्व संध्या तथा प्रथम दिवस को होने वाले आयोजन एवं सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ के एकत्रित होने की संभावना के मद्देनजर एतद् द्वारा उक्त आदेश में निम्नवत आंशिक संशोधन करते हुए उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया जाता है:–

1. (क) आदेश की कंडिका–5 के वर्तमान उपबन्ध के उपरान्त निम्न वाक्यांश अंतःस्थापित किया जाता है–
   "सभी पार्क एवं उद्यान (जैविक उद्यान सहित) दिनांक–31.12.2021 से दिनांक–02.01.2022 तक पूर्णतः बंद रहेंगे।"

   (ख) विभागीय आदेश ज्ञापांक–10031, दिनांक–15.12.2021 के शेष आदेश यथावत रहेंगे।

2. इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल–कूद/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों/कार्यक्रमों में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व आयोजन/कार्यक्रम के प्रबंधक का होगा।

(हस्ताक्षर) 28/12/21
(त्रिपुरारि शरण)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक– जी/आपदा–06–02/2020– 10592 पटना, दिनांक– 28 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि– सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ उप–महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 28/XII/2021